हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अनिल कुमार बनाम मिठ्ठन लाल प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.07.2020 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी हाल खसरा नम्बर 125/0.48, 126/0.44, 149/0.27, 150/0.24, 151/0.47, 154/0.23, 169/0.45, 170/0.70, 171/0.45, 198/0.44, 199/0.39, 200/0.24, 200/480/0.07, 76/432/0.06, 77/0.34, 78/0.39, 78/481/0.02, 79/0.42, 80/0.47, 153/0.26, 140/0.37, 172/0.44, 173/0.52 वाके ग्राम डाबला मीना तह0 राजगढ से प्रार्थी के कब्जे कास्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करें तथा आराजी को जरिये रहन बय आदि के द्वारा दीगर जगह मुन्तकिल न करें ।साथ मे शपथ पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 25/9/20 तक पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वर्णित विवादित आराजी की प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे साथ में अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो कि उन्हे इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 25/9/20 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी राजगढ(अलवर) 6/10/20 [illegible] ... दिनांक 28/10/20 को [illegible] [signature] S.D.O.	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
14/8 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22/8/24 को पेश हो। रीडर 22/08/24 पत्रावली पेश। वकुलाय उभ। वास्ते बहस हेतु दि० 5/11/24 को पेश हो। SDO 5/11/24 .... अधिवक्ता ... ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 6/12/24 को पेश हो। S.D.O. 06/12/24 पत्रावली पेश हुई। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	